

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) ग्रा०- 08-20/17

राँची, दिनांक -

आदेश

सतगाँवा थाना कांड सं०-80/12 दिनांक 06.12.12 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री लालता प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल मेदिनीनगर को, उनके विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-406,409,419,420,467,471 एवं 472 के अन्तर्गत दर्ज अपराध के लिए कोडरमा पुलिस द्वारा दिनांक 11.01.17 को गिरफ्तार किया गया एवं श्री यादव दिनांक 01.01.17 से दिनांक 16.03.17 तक न्यायिक हिरासत में रहे।

2. न्यायिक हिरासत में बिताये गये अवधि (11.01.17 से 16.03.17) के लिए श्री लालता प्रसाद यादव को झा०से०सं० के नियम- 99 एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 9(2) में उल्लेखित प्रावधान के तहत Deemed Suspend किया जाता है।

3. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) ग्रा०- 08-20/17

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि - मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल गढवा शिविर मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) ग्रा०- 08-20/17

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि - जिला कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

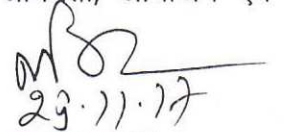
ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) ग्रा०- 3/12 5037

राँची, दिनांक - 29-11-17

प्रतिलिपि - सरकार के अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा-3, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/श्री लालता प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29.11.17

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव (नि०)